



राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(6)गृह-1/2024 (20504)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिब्यू विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 18.03.2025 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को सुपरटाईम स्केल से हायर सुपर टाईम स्केल में योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी सुश्री/सर्वश्री	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	श्री लोकेश सोनवाल	एससी	01.04.2023
2.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड	सामान्य	11.03.2024
3.	श्री राजेश भारद्वाज	सामान्य	11.03.2024
4.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	11.03.2024
5.	श्रीमती कमल शेखावत	सामान्य	11.03.2024
6.	श्री अवनीश कुमार शर्मा	सामान्य	11.03.2024
7.	डॉ० मूल सिंह राणा	सामान्य	11.03.2024
8.	श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया	सामान्य	11.03.2024
9.	श्री नरपत सिंह	सामान्य	11.03.2024
10.	श्री रामस्वरूप शर्मा	सामान्य	11.03.2024
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद खौथ	सामान्य	11.03.2024
12.	श्री धनपत राज	सामान्य	11.03.2024
13.	श्री रेवन्त दान	सामान्य	11.03.2024
14.	श्री विजय कुमार स्वर्णकार	सामान्य	11.03.2024
15.	श्री रतन लाल भार्गव	सामान्य	11.03.2024
16.	श्री सीताराम प्रजापत	सामान्य	11.03.2024
17.	श्री भवानी शंकर मीणा	एस.टी.	11.03.2024
18.	श्री भरतलाल मीणा	एस.टी.	11.03.2024
19.	श्री सुरेश जैफ	एस.टी.	11.03.2024

श्री लोकेश सोनवाल की वरिष्ठता श्री गणपति महावर (एस.सी.) के उपर निर्धारित की जाती है।

निम्नांकित अधिकारियों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा पूर्व में की गई पदोन्नति की अभिशंषा निम्नानुसार रहेगी :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी सुश्री/सर्वश्री	वर्ग	रिक्ति दिनांक
01	श्री गोवर्धन लाल सौंकरिया	एससी	01.09.2023
02	श्री महेश मीणा	एसटी	11.03.2024

श्री महेश मीणा (एसटी) की वरिष्ठता श्री सीताराम प्रजापत (सामान्य) के नीचे एवं श्री भवानी शंकर मीणा (एसटी) के उपर निर्धारित की जाती है।



यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश राजोरिया)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस